# न्यायालय अपील अधिकारण ( जिला मजिस्ट्रेट ) जोधपुर

**पीठासीन अधिकारी :–** हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस.

**भरण पोषण अपील संख्या : 12 / 2022**

| अपीलार्थी | बनाम | प्रत्यर्थी |
|---|---|---|
| 1– ओमनारायण धर पुत्र शंभूनाथ धर निवासी कृष्णा गार्डन, सिद्धनाथ रोड़, जोधपुर। | | 1–अविनाश धर पुत्र ओमनारायण<br>2–श्रीमति पूनम धर पत्नी अविनाश<br>3–जयकुमार धर पुत्र ओमनारायण<br>4– श्रीमती आरती धर पत्नी जयकुमार धर निवासीगण कृष्णा गार्डन, सिद्धनाथ रोड़ जोधपुर। |

**अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.05.2022 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी,) जोधपुर उत्तर द्वारा प्रकरण सं0 07 / 2022 ओमनारायण धर बनाम अविनाश धर में पारित किया गया।**

उपस्थितिः–
1– अपीलार्थीगण स्वयं।
2– प्रत्यर्थीपक्ष 2–4 स्वयं।
3– प्रत्यर्थीपक्ष 1 व 3 अनुपस्थित।

आदेश दिनांक 18.10.2022

## आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी / प्रार्थी ओमनारायण ने उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर) के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 व 24, माता–पितां एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 बाबत् अपीलार्थी / प्रार्थी को प्रत्यर्थीगण / अप्रार्थीगण से खर्चा दिलाने जाने, प्रार्थी के मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल करने का पेश किया गया, जिस पर उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर ) ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपीलार्थी / प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर अप्रार्थीगण को प्रार्थी कृष्णा गार्डन, सिद्धनाथ रोड़ जोधपुर में रह रहा है उसमें रहने किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न

लगातार ..

नहीं करने, सभी सुख सुविधा (बिजली पानी, बाथरूम शौचालय इत्यादि) का उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार से व्यवधान नहीं करने व अप्रार्थीगण उसी हिस्से में निवासी करेगें जिसमें प्रार्थी रहने के लिए उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर ( 12/2022 ) कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी कर अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। प्रत्यर्थीपक्ष उपस्थित होने के पश्चात् अपील का जबाब पेश हुआ, जो सामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 14.09.2022 कों लिखित बहस प्रस्तुत हुई। दिनांक 11.10.2022 को अपीलार्थीपक्ष एवं उपस्थित प्रत्यर्थीपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीपक्ष की ओर से से लिखित बहस में बतलाया कि अपील में प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से जबाब पेश किया गया वो एक भी ठोस तथ्यों पर न देकर मनगंढन्त कहानी पेश की है। अपीलार्थी/प्रार्थीपक्ष की अपीलाधीन सम्पति 1995 से पहले स्वअर्जित आय से कब्जासुदा खरीद किया गया उस समय प्रत्यर्थी 4–5 वर्ष के थे। प्रार्थी वर्ष 1990 से हृदय रोग से पीड़ित है। वर्ष 2010 के बाद पुत्र–वधुओं ने बंटवारे का दबाव बनाना शुरू कर दिया गया तथा पुत्रों द्वारा चोरी छीपे धर का रोजमर्रा का सामान बेचना शुरू कर दिया गया। बहस में यह भी कहा कि गत वर्ष कोविड काल में हैसियत अनुसार प्रत्यर्थीपक्ष को घर खर्च में मदद करता रहा, परन्तु अब बिमारी व घरेलू कलह से अपने ही घर में असुरक्षित व असहाय महसूस कर रहा हूँ इसलिए प्रत्यर्थीपक्ष को अपीलार्थी की उपरोक्त रहवासीय परिसर कृष्णा गार्डन सिद्धनाथ रोड़, जोधपुर से खाली करवाया जाय।

उपस्थित प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से बहस में बतलाया कि प्रत्यर्थीगण 12–13 वर्ष से सभी अपने दायित्व को निभाते हुए अपने माता पिता के संरक्षण में रह रहे है। अपीलार्थी ने कई तथ्यों को छुपाया है। अपीलांट की पत्नी कस्तुरीदेवी जो इसमें पक्षकार नहीं है वो गैर व्यक्ति लालसिंह के सिखावे में आकर रेस्पो. पक्ष से झगड़ा करती है। लालसिंह अस्थाई रूप से गार्डन में हेल्पर रखा हुआ है। बहस में आगे यह भी कहा कि लालसिंह किसी प्रकार छलकपट कर जमीन जायदाद आदि हड़पना व अपने नाम कर कब्जा करना चाहता है। अपीलार्थी को कोई तंग व परेशान नहीं करते है। विवादग्रस्त जायदाद पट्टासुद न होकर केवल कब्जासुदा है जिसमें प्रत्यर्थीगण भी जब से माता पिता रह रहे है, तब से साथ में संयुक्त परिवार की हैसियत से शांतिपूर्वक रहते आ रहे है और सेवा भी करते आ रहे है। बहस के अन्त अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थीपक्ष का अपील में मुख्य कथन है कि अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश को संशोधित करते हुए प्रत्यर्थीगण के खरीदसुदा, कब्जासुदा मकान को खाली करवा कर राहत प्रदान की जाय। अपीलार्थी के कथनानुसार उक्त जायदाद स्वअर्जित आय से क्रय की गई है तथा जायदाद को लेकर रेस्पो.पक्ष हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते है। अधीनस्थ

लगातार.

अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज यथा अपीलार्थी के नाम जय सिक्योरिटी सर्विस का प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन तथा कृष्णा गार्डन रिसोर्ट एवं स्वीमिंग पूल का प्रमाणपत्र व थ्रीफेस बिजली का कनेक्शन किस्तुरीदेवी पत्नी ओमनारायण के नाम लिया हुआ है। उपरोक्त दस्तावेजो से स्पष्ट होता है कि सिद्धनाथ रोड़, जोधपुर स्थित कृष्णा गार्डन अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी किस्तूरीदेवी का कब्जा है तथा वे अपनी व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करते आ रहे है। माता–पितां एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसारं वरिष्ठ नागरिकों एवं उसकी सम्पति का संरक्षण करना आवश्यक है, यद्यपि अधीनस्थ अधिकरण ने अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2022 को रेस्पो.पक्ष को जीवन यापन संबंधी सभी सुख सुविधा( बिजली, पानी, बाथरूम, शौचालय )के उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नहीं करने, गाली गलौच नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया, परन्तु अपीलार्थी (वरिष्ठ नागरिक) की जायदाद से बेदखल करने का आदेश नहीं दिया गया अतः आदेश अपूर्ण होने से हस्तक्षेप योग्य है तथा अपीलार्थी की जायदाद से रेस्पो.पक्ष को बेदखल करना न्यायोचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी की जायदाद कृष्णा गार्डन, सिद्धनाथ रोड़ जोधपुर से रेस्पो.पक्ष को बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। अधीनस्थ अधिकरण विधिक प्रावधानों के तहत रेस्पो.पक्ष के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही करे। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख पुनः अधीनस्थ अधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।